

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4317

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 27 मार्च, 2023

06 चैत्र, 1945 (शक)

ताज विरासत गलियारा में हरियाली की वृद्धि

4317. श्री राजकुमार चाहर:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगरा में आगरा किले के सामने ताज विरासत गलियारा के स्थल-क में हरियाली की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है;
- (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ताज विरासत गलियारा स्थल-क की हरियाली की स्थिति में सुधार के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान इस पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;
- (ग) क्या देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उपरोक्त विरासत गलियारा स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति देने संबंधी सरकार की कोई नीति है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : ताज हेरिटेज कॉरिडोर के स्थल-क में आने वाली 20 हेक्टेयर भूमि उद्यान के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दी गई है। प्रथम चरण में, 10 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई, जिसमें से लगभग 60% क्षेत्र को पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से उचित उद्यान के रूप में विकसित किया जा चुका है और इसे अच्छी स्थिति में बनाए रखा गया है।

(ख) : उद्यान के नियमित रखरखाव के लिए नियमित कार्मिकों की जनशक्ति तैनात की गई है और उद्यान की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान उद्यान के नियमित रखरखाव और देखभाल के लिए किया गया व्यय इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
किया गया व्यय (करोड़)	0.25 (बाड़ लगाने के लिए)	0.41	0.79	0.17	0.28

(ग) से (ड) : ताज हेरिटेज कॉरिडोर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए चिन्हित स्थानों की सूची में नहीं है। संरक्षित क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्मारकों की सूची के साथ दिशा-निर्देश पहले से ही प्रचलन में है (अनुबंध- 1)।

लोक सभा में दिनांक 27.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4317 के भाग (ग) से (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिशा-निर्देश

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संरक्षित स्मारकों/स्थलों के विशिष्ट क्षेत्रों के उपयोग से संबंधित मुद्दे को सुलझा लिया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने संरक्षित क्षेत्रों के उपयोग के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है।

1. स्वाभाविक रूप से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों और स्मारकों से जुड़ी भूमि को समारोहों/कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देना चाहेगा। मंडल, हालांकि, इस तरह के उपयोग की अनुमति केवल एक अपवाद के रूप में दे सकते हैं यदि महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण / अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि समारोह/घटना से स्मारक, इसकी भूमि और यहां अन्य निर्मित संरचनाओं को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है।
2. मंडल केवल उन्हीं स्मारकों में अनुमति प्रदान करेंगे, जिन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चिन्हित किया गया है। वे स्मारक के उस क्षेत्र/हिस्सों को भी चिन्हित करेंगे जहां इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण / अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल पहचान किए गए स्मारकों / स्थलों में समारोह आयोजित करने की अनुमति से इनकार भी कर सकते हैं, यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में नवीनीकरण / सौंदर्यीकरण कार्य किया है और इस तरह के आयोजन से काम में बाधा आ सकती है / मरम्मत को नुकसान हो सकता है।
4. यदि कोई स्मारक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति के लिए सूचीबद्ध नहीं है, तो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित अधीक्षण पुरातत्वविद् से रिपोर्ट मांगने के बाद ऐसी अनुमति दे सकते हैं। हालांकि महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उनका निर्णय अंतिम होगा।
5. उच्च स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम, खासकर शास्त्रीय, आयोजन के लिए अनुमति दी जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अर्थ होगा शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक। कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है या नहीं, यह तय करने में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा।
6. ऐसे किसी समारोह कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी जहां प्रवेश टिकटों की बिक्री या प्रवेश शुल्क लगाकर प्रवेश को नियंत्रित किया जाता है।
7. ऐसे किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें बिक्री, प्रदर्शनी-सह-बिक्री आदि जैसी कोई व्यावसायिक/धार्मिक गतिविधि शामिल हो।

8. समारोह आयोजित करने की अनुमति केवल सरकारी विभागों और सार्वजनिक निकायों को दी जाएगी। निजी व्यक्तियों, निजी निकायों या अन्य वाणिज्यिक संगठनों को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यह तय करने में कि समारोह आयोजित करने का अनुरोध किसी सार्वजनिक निकाय से है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा। सार्वजनिक निकायों के अनुरोधों पर विचार करते समय, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण / अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल संगठन के पिछले इतिहास और गतिविधियों पर विचार करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रकृति और अवधि और जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
9. जारी की गई अनुमति केवल एक दिन के लिए वैध होगी, सिवाय असाधारण मामलों में, जहां रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसी अनुमतियां एक दिन से अधिक हो सकती हैं। सभी अस्थायी ढांचों का निर्माण और हटाना उसी दिन रात 11 बजे तक किया जाना चाहिए। सभी समारोह रात 10 बजे तक समाप्त हो जाने चाहिए। इसके बाद संगीत या लाउडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा पुलिस शिकायत की जाएगी।
10. अस्थायी मंच या स्टेज, जिसे हटाया जा सकता है, को छोड़कर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह के अस्थाई ढांचों को लगाने में कोई चिनाई की गतिविधि नहीं होगी।
11. यदि स्मारकों या इसके परिसर के भीतर कार्यक्रम के आयोजन से निर्मित बुनियादी ढांचे और इसके वातावरण को नुकसान होने की संभावना है, वहां तो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क लगाएगा:

(क) एक संरक्षित स्मारक से जुड़ी (बाहर) भूमि में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 25000/-रु प्रति दिन और जहां भूमि के साथ निर्मित स्मारकों (अंदर) का एक हिस्सा भी उपयोग किए जाने की संभावना है। 50000/- प्रति दिन शुल्क लिया जाएगा। (दिल्ली में चुनिंदा स्मारकों में)

(ख) अन्य मंडलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर संरक्षित स्मारक से संलग्न (बाहर) क्षेत्र का उपयोग करने के लिए प्रति दिन (केवल एक दिन के लिए) 10000/- शुल्क लिया जाएगा और जहां संरक्षित स्मारकों का एक हिस्सा भी उपयोग किए जाने की संभावना है, रुपये। 25000/- प्रति दिन शुल्क लिया जाएगा।

महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तय कर सकते हैं कि क्या अन्य अंतर की जरूरत है। उपरोक्त के अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रुपये की वापसी योग्य सुरक्षा जमा की भी मांग करेगा। दिल्ली में सभी स्मारकों में प्रति दिन 50000 /- अन्य मंडलों में, यह रिफंडेबल सिक्क्योरिटी डिपॉजिट रुपये होगा। 30,000/- यह जमानत राशि समारोह समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कूड़े/कचरे आदि की सफाई या क्षति की मरम्मत, यदि कोई हो, में किए गए व्यय, यदि कोई हो, को घटाकर वापस कर दी जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग, आगंतुकों की अधिकतम संख्या, शोर और रोशनी के स्तर आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर उपयुक्त शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र होगा कि स्मारक और इसके आसपास के वातावरण की रक्षा और संरक्षण हो और आयोजन के आयोजन से किसी को कोई नुकसान न हो। स्मारक (भौतिक रूप से) या इसकी सांस्कृतिक अखंडता।

स्मारकों की एक सूची जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है, अनुबंध-। में है। यह सूची संपूर्ण नहीं है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जब भी आवश्यक हो इस सूची में संशोधन कर सकता है।

उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक मान्य रहेंगे।

सांस्कृतिक स्मारकों/ स्थलों की सूची
घटनाओं की अनुमति दी जा सकती है

आगरा मंडल

1. राम बाग
2. अकबर का मकबरा (बाहर)
3. दीवान-ए-ओम (आगरा का किला)
4. कंकाली टीला, मथुरा
5. बशाही गेट के बाहर खुला क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी

औरंगाबाद मंडल

1. बीबी-का-मकबरा, औरंगाबाद के बाहर आंगन
2. रॉक-कट केव्स, एलोरा के सामने खुला क्षेत्र
3. खुला क्षेत्र किला, दौलताबाद

बंगलौर मंडल

1. केशव मंदिर, सोमनाथपुर के पूर्व में खुला क्षेत्र
2. खुला क्षेत्र होयसलेश्वर मंदिर, हलेबिदु
3. खुला आंगन, चेन्नाकेशव मंदिर, बेलूर
4. बाहुबली की मूर्ति, श्रवण बेलगोला का खुला क्षेत्र और बंद दरबार
5. बाहुबली की मूर्ति, करकला के आसपास का खुला क्षेत्र
6. खुला क्षेत्र, चित्रदुर्ग किला
7. खुला आंगन, टीपू पैलेस, बेंगलोर
8. टीपू के मकबरे, श्रीरंगपटना के आसपास का खुला क्षेत्र
9. खुला क्षेत्र - दौलताबाद बाग पैलेस, श्रीरंगपटना
10. श्री हरिहरेश्वर मंदिर, हरिहर
11. ईश्वर मंदिर, अरासिकेरे
12. किला देवनहल्ली
13. सोमेश्वर मंदिर, कोलार
14. मंदिरों के समूह का खुला क्षेत्र, नंदी
15. अनंतपद्मनाभ मंदिर परिसर, करकला

भोपाल मंडल

1. चित्रगुप्त मंदिर के उत्तर में, खजुराहो
2. तानसेन का मकबरा, ग्वालियर
3. सास बहू मंदिर, ग्वालियर के आसपास खुला क्षेत्र
4. शिव मंदिर, भोजपुर के पश्चिम में खुला क्षेत्र
5. जहाज महल, मांडू के पास खुला क्षेत्र

भुवनेश्वर मंडल

1. राजा रानी मंदिर, भुवनेश्वर के आसपास खुला क्षेत्र
2. खुला क्षेत्र, मुक्तेश्वर मंदिर
3. खुला क्षेत्र, परशुरामेश्वर मंदिर
4. खुला क्षेत्र, सूर्य मंदिर, कोणार्क
5. खुला क्षेत्र, सीताभानजी
6. खुला क्षेत्र, हरिपुरगढ़
7. रत्नागिरी में स्थल

चंडीगढ़ मंडल

1. जल महल, नारनौल के आसपास का खुला क्षेत्र
2. खुला क्षेत्र, दखनी सराय
3. खुला क्षेत्र, भटिंडा में किला

चेन्नई मंडल

1. बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर
2. बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम
3. ऐरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम
4. मंदिरों का समूह, रॉक-कट गुफाएं, महाबलीपुरम
5. मंदिरों के समूह, मूवर कोइल के पास खुला क्षेत्र
6. किला क्षेत्र, सदरस

दिल्ली मंडल

1. अरब की सराय (हुमायूँ का मकबरा परिसर)
2. बाहरी आंगन ईसा खान का मकबरा (हुमायूँ का मकबरा परिसर)
3. जहाज महल
4. रोशनआरा गार्डन
5. खुला क्षेत्र, कुतुब मीनार परिसर
6. आंगन और बाहरी खुला क्षेत्र, पुराना किला
7. खुला क्षेत्र, किला राय पिथौरा
8. खुला क्षेत्र, लाल किला (राम लीला का क्षेत्र और अंदर)

देहरादून मंडल

1. रुद्रनाथ मंदिर परिसर, गोपेश्वर, जिला, चमोली

धारवाड़ मंडल

1. खुला क्षेत्र, दुर्गा मंदिर परिसर, ऐहोल
2. खुला क्षेत्र, मंदिरों का ज्योतिर्लिंग समूह, ऐहोल
3. मंदिरों के समूह, पट्टदकल के उत्तर में खुला क्षेत्र

4. मंदिरों के समूह, अहूर के बीच खुला क्षेत्र
5. किले गुलबर्गा के भीतर खुला क्षेत्र
6. खुला क्षेत्र महमूद गावां मदरसा, बीदर
7. गोल गुंबज, बीजापुर के आसपास का खुला क्षेत्र
8. इम्ब्राहिम रौजा, बीजापुर के लॉन
9. खुला क्षेत्र, नवरसपुर
10. स्मारकों का खुला क्षेत्र समूह, लक्कुंडी
11. महादेवी मंदिर, इट्टागी के आसपास खुला क्षेत्र
12. सिद्धेश्वर मंदिर, हावेरी के पश्चिम की ओर खुला क्षेत्र
13. मधुकेश्वर मंदिर परिसर, बनवासी
14. मुक्तेश्वर मंदिर, चंदनपुर
15. खुला क्षेत्र किला, सौदा

गोवा मंडल

1. किले के भीतर खुला क्षेत्र, अगुआडा
2. महादेव मंदिर परिसर, ताम्बडी सुरला
3. खुला क्षेत्र सफा मस्जिद, पोंडा

गुवाहाटी मंडल

शून्य

हम्पी लघु मंडल

1. खुला क्षेत्र हाथी अस्तबल, हम्पी
2. खुला क्षेत्र विठला मंदिर परिसर, हम्पी
3. किला, बेल्लारी, हम्पी
4. स्मारक, हम्पी के आसपास खुला क्षेत्र

हैदराबाद मंडल

1. गोलकुंडा किले के भीतर का क्षेत्र
2. सिद्धौत किला, कडप्पा
3. शंकरम, विशाखापत्तनम
4. रामप्पा मंदिर, पालमपेट
5. किले के भीतर का क्षेत्र, वारंगल
6. नागार्जुनकोंडा और अनूपा में प्रतिरोपित स्मारकों के आसपास खुला क्षेत्र (केवल दिन के दौरान)
7. अमरावती स्तूप स्थल के आसपास का खुला क्षेत्र

जयपुर मंडल

1. भानगढ़ का प्राचीन स्थल
2. दीग महल, दीग, जिला भरतपुर
3. किला, बयाना

4. मंदिरों का समूह, बिजौलिया

5. किला, रणथंभौर

जोधपुर मंडल

1. अन्ना सागर बारादरी, अजमेर

2. महानाल मंदिर, मेनाल

3. किला, चित्तौड़गढ़,

4. किला, कुंबलगढ़,

5. पुरातत्व स्थल, लुद्रवा

6. घाट/जहांगीरी महल, पुष्कर

7. मंदिरों का समूह, बडोली

8. किला, जैसलमेर, जोधपुर

कोलकाता मंडल

1. कूचबिहार पैलेस के सामने खुला क्षेत्र

2. बिष्णुपुर मंदिर समूह, बिष्णापुर के आसपास का खुला क्षेत्र

लेह लघु मंडल

शून्य

लखनऊ मंडल

1. रेजीडेंसी आंगन, लखनऊ

2. खुला क्षेत्र किला, झांसी

3. दिलकुशा महल

मुंबई मंडल

1. खुला क्षेत्र, एलिफेंटा

2. किला रायगढ़

3. महल परिसर, शनिवारवाड़ा, पुणे

नागपुर मंडल

शून्य

पटना मंडल

1. पुरातत्व स्थल, नालंदा

2. खुला क्षेत्र शेर शाह मकबरा, सासाराम

रायपुर मंडल

1. स्मारकों का समूह, सिरपुर

रांची मंडल

शून्य

सारनाथ मंडल

1. पुरातत्व स्थल, सारनाथ

शिमला मंडल

1. खुला क्षेत्र वाइस रीगल लॉज, शिमला
2. खुला क्षेत्र, कांगड़ा किला, कांगड़ा
3. खुला क्षेत्र, नूरपुर में किला (अब शिमला मंडल में)

श्रीनगर मंडल

1. पैलेस रामनगर
2. किले का खुला क्षेत्र, रामनगर

त्रिशूर मंडल

1. किले के भीतर खुला क्षेत्र, बेकल
2. फोर्ट सेंट एंजेलो, कन्नूर के भीतर का क्षेत्र
3. पक्कड़ में किला

वडोदरा मंडल

1. सूर्य मंदिर, मोढेरा के आसपास खुला क्षेत्र/उद्यान
2. गढ़, पावागढ़ के भीतर खुला क्षेत्र
3. किला, दीव
4. किला क्षेत्र, मोती दमन
5. किला क्षेत्र, नानी दमन
6. बावड़ी, पाटन के आसपास का क्षेत्र
